

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
लोक अदालत कैम्प कोर्ट—मेजा तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:— श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—302/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री संदीप कुमार पिता दामोदर जी गट्टानी, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील  
मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) —वादी

बनाम

- 1—श्री बंशीलाल पिता गुलाब गाडरी, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला, मांडल
- 2—श्री नारायण लाल पिता अर्जुन गाडरी, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला, मांडल
- 3—मु0 झमकु देवी पत्नि अर्जुन गाडरी, उम्र बालिग निवासी गाडरी मोहल्ला, मांडल  
तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा  
(राजस्थान) —प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री — एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या  
1 से 3 की ओर से श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज  
दिनांक 1.6.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश  
दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों  
प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष  
की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

न्याय हित में आपसी सहमति से विभाजन स्कीम के अनुसार वादी  
का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के  
इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील मांडल  
जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एव प्रतिवादी  
संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।  
उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की  
जावें।

1—श्री संदीप कुमार पिता दामोदर गट्टानी, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल  
जिला भीलवाड़ा वादी के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की  
जावें।

आराजी नं.	रकबा	लगान
633/3	4 बीघा 08 बिस्वा	—
कुल किता 1	रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा	लगान —

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल

2-श्री वंशीलाल पिता गुलाब गाडरी, उम्र वालिग निवासी गाडरी मोहल्ला-मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	विस्वा	लगान
633/1	1 बीघा	09	लगान -
<b>कुल किता 1</b>	<b>रकबा 1 बीघा</b>	<b>09 विस्वा</b>	<b>लगान -</b>

3-श्री नारायण लाल पिता अर्जुनलाल गाडरी, उम्र वालिग, श्रीमति झमकू देवी पत्नि अर्जुनलाल गाडरी, उम्र वालिग निवासीयान गाडरी मोहल्ला-मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं०	रकबा	विस्वा	लगान
632	3 बीघा	12	-
633/2	2 बीघा	11	-
<b>कुल किता 2</b>	<b>रकबा 6 बीघा</b>	<b>03 विस्वा</b>	<b>लगान -</b>

4-वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम निम्न भूमि संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं०	रकबा	विस्वा	लगान
633	1 बीघा	04	-
<b>कुल किता 1</b>	<b>रकबा 1 बीघा</b>	<b>04 विस्वा</b>	<b>लगान -</b>

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्से अनुसार दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

( सी.एल.शर्मा )  
आर०ए०एस०

**उपखण्ड अधिकारी**

मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 1.6.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर

से जारी की गयी

**उपखण्ड अधिकारी**  
मांडल जिला भीलवाड़ा